मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– 2248 / 2006 / अठारह–3 भोपाल,दिनांक– 30 / 03 / 2007

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय :– विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बावत् ।

संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क 69मं. / 18–3 / 90, दिनांक– 18 / 5 / 1990

–0–

उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा राज्य शासन ने निम्नांकित विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मांस बिकी की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये है :–

1 गणतंत्र दिवस
2. गांधी निर्वाण दिवस
3. महावीर जयंती
4. बुद्ध जयंती
5. स्वतंत्रता दिवस
6. गांधी जयंती
7. रामनवमी
8. डोल ग्यारस
9. पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन
10. पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन
11. अनन्त चतुर्दशी
12. जन्माष्टमी
13. संत श्री जिन तरण तारण जयंती
14. पर्यूषण पर्व में सवत्सरी श्वेताम्बर जैन
15. भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण
16. चैतीचांद एवं
17. गणेश चतुर्थी

––2––

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया राज्य शासन के संदर्भित निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में पशुओं के वध और मांस विक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/3/07

(नरेश पाल)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ०क० 2248 / 2006 / अठारह–3 भोपाल,दिनांक– 30 / 03 / 2007

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र० भोपाल ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र० ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, म०प्र० भोपाल ।
4. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र० ।

30/3/07

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Scanned by CamScanner

श्रीमान्

विषय :— विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकानों को बन्द रखवाये जाने बाबत्।

मान्यवर,

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय , भोपाल के द्वारा क्रमांक — 2248/2006/अठारह—3, भोपाल, दिनांक 30/03/2007 के द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त जिला कलेक्टरों के लिये निर्देश जारी किये गये थे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार विभागीय उप सचिव के हस्ताक्षर पूर्वक निर्गमित इस परिपत्र में आदेशित किया गया है कि, "राज्य शासन ने निम्नांकित 17 विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मांस बिक्री की दुकानों को बन्द रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये हैं। वे 17 दिवस निम्नानुसार हैं —

1. गणतंत्र दिवस, 2. गांधी निर्वाण दिवस, 3. महावीर जयंती, 4. बुद्ध जयंती,
5. स्वतंत्रता दिवस, 6. गांधी जयंती, 7. राम नवमी, 8. डोल ग्यारस,
9. पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, 10. पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन,
11. अनन्त चतुर्दशी, 12. जन्माष्टमी, 13. सन्त श्री जिन तरण तारण जयंती
14. पर्यूषण पर्व में संवत्सरी (श्वेताम्बर जैन), 15. भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस, 16. चैती चाँद एवं 17. गणेश चतुर्थी।"

वर्ष 2013 के समापन दिवस तक उपरिलिखित 17 दिवसों में से निम्न विशिष्ट तिथियाँ निम्नलिखित दिनांक के दिन आयेंगी —

1. जन्माष्टमी — 28 अगस्त, 2013 बुधवार
2. गणेश चतुर्थी/पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन—9 सितम्बर 2013, सोमवार
3. पर्यूषण पर्व में संवत्सरी (श्वेताम्बर जैन)— 10 सितम्बर 2013, मंगलवार
4. डोल ग्यारस — 15 सितम्बर 2013, रविवार
5. पर्यूषण पर्व में अंतिम दिन/अनन्त चतुर्दशी — 18 सितम्बर 2013, बुधवार
6. गांधी जयन्ती — 02 अक्टूबर 2013, बुधवार
7. भगवान महावीर निर्वाण दिवस — 3 नवम्बर 2013, रविवार
8. सन्त श्री जिन तरण तारण जयन्ती — 09 दिसम्बर 2013, सोमवार

अतएव माननीय से अनुरोध है कि उपरलिखित विशिष्ट अवसरों पर मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में स्थित पशुओं के वधगृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जावे —

1. एतदर्थ उपरिलिखित इस वर्ष के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट अवसरों के कुछ दिन पूर्व ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रूप चैनल्स एवं प्रिन्ट मीडिया रूप समाचार पत्र आदि के द्वारा समाचार प्रकाशित/प्रसारित कराये जायें।
2. स्थानीय स्तर पर उक्त अवसरों से कुछ दिन पूर्व ही सार्वजनिक रूप से ध्वनि प्रसारण साधन द्वारा प्रशासनिक निर्देश जनसामान्य को सूचित कराया जावे ।

Scanned by CamScanner

3. उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों का बंद होना सुनिश्चित करने हेतु संबंधितजनों को सख्त चेतावनी दी जावे ।
4. उक्त विशिष्ट अवसरों के कुछ दिन पूर्व नगरीय क्षेत्रों में स्थित जनसामान्य में आपसी सौहार्द बना रहे, इस भावना से सभी वर्गों ,समुदायों में से कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकों की यदि शांति समिति हो तो उसकी मीटिंग आहूत करके राज्य शासन के उक्त निर्देशों को बताकर क्षेत्र में शांतिमय वातावरण बना रहे, ऐसा प्रयास कराया जावे।
5. नगरों में स्थित शांति समिति में से कुछ सदस्यों का चयन समिति की मीटिंग में किया जावे, जो उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन पुलिस प्रशासन के साथ जाकर क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद कराया जाना सुनिश्चित करा सकें।
6. नगरों में स्थित पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जावे कि वे स्वयं अथवा शांति समिति के निर्धारित/चयनित सदस्यों या नगर के सभी वर्गों ,समुदायों में से कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकों, कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित समाज–सेवियों के सहयोग पूर्वक उक्त विशिष्ट अवसरों के दिनों में नगरीय निकाय के अंतर्गत पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानों को बंद करायें।
7. उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन पूर्व सूचना/चेतावनी दिये जाने के उपरांत भी यदि नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद नहीं की जायें तो उन पर विधि–सम्मत उचित कार्रवाई की जावे।

आपसे अनुरोध है कि समय रहते कार्रवाई हेतु उचित निर्देश प्रसारित किया जाये एवं पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिये जायें। दिये गये निर्देश की सूचना प्रार्थी को भी मिल सके, ऐसा सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरिलिखित शासन निर्देश।

निवेदक

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला ....
2. श्रीमान् एस.पी.महोदय
3. श्रीमान् डी.एस.पी. महोदय
4. श्रीमान् एस. डी. एम. महोदय
5. श्रीमान् एस.डी.ओ(पी.) महोदय
6. श्रीमान् तहसीलदार महोदय
7. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय
8. श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय
9. श्रीमान् महापौर/अध्यक्ष/सी.एम.ओ. महोदय
नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद
10. श्रीमान् संवाददाता महोदय – समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल

Scanned by CamScanner